


26/11/21-

बहायक कलेक्टर, गुडामालाजी
सजावली का उद्धारान गावों के एक कक्षिक
सेक्टर प्रशासकी के द्वारा वकील आदीनी उद्धारान।
वकील आदीनी द्वारा उद्धार आदीनी पर करा कर दिवस
01/03/21 के विनियम विभागीय एक पर्याप्त विवेचना
आदी करवाया गया था लगभग 8 माह के अन्तर
का समय तक ही हो जाने के उपरान्त भी विभागीय
की गारंटी पूर्ण नहीं कराई गई है। आदीनी के उद्धार का
विचारण वाद पर के लक्ष होकर। केसों के खाने के विनियम
विभागीय आदी रखना न्यायालय उचित नहीं समझते
केत। इस न्यायालय द्वारा आदी उद्धार विवेचना के
11/3/21 निरस्त कर आदी पर 212 211 गारंटी कर
प्रकार विवेचना जाता है सजावली विधि द्वारा देकर इस
वाद के लक्ष नहीं है।


बहायक कलेक्टर गुडामालाजी

